# कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133 E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in

क्रमांक / पी.ओ.आर / 8774 नर्मदापुरम्, दिनांक / 26.10.22

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(वन्यप्राणी)
म.प्र. भोपाल

विषयः— वन अपराध प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय नर्मदापुरम् द्वारा पी.ओ.आर 14198 / 06, दिनांक 14.01.2016 एवं आर.सी.टी. प्रकरण क्रमांक 500278 / 2016 अंतर्गत दिनांक 28.09.2022 को पारित निर्णय में आरोपियों 03—03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 / —के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त प्रस्तुतीकरण के फलस्वरुप मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नर्मदापुरम् , द्वारा प्रकरण में 03—03 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(संदीप फैलोज)
भा.व.से.
उपसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
नर्मदापुरम्

पृष्ठां क्रमांक / पी.ओ.आर / 8775 नर्मदापुरम्, दिनांक / 26.10.22

प्रतिलिपि :— 1—अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2—सहायक संचालक, सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3—परिक्षेत्र अधिकारी कामती की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

01.11.22

उपसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
नर्मदापुरम्

कक्ष ....
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल 31/10

Scan कर वन विभाग की website पर न्यायालयीन निर्णय folder बनाकर upload करावें।

Thakur

मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\POR\POR Febuary 2022\POR Letter.docx 125

न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम (म.प्र.)
–: समक्ष :– श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया :–

| | |
|---|---|
| Registration No. | **RCT-500278/2016** |
| Filing No. | RCT-500278-2016 |
| CNR No. | MP0501-004904-2016 |
| Date of Filing | 16-02-2016 |

वन परिक्षेत्र कामती, मुख्यालय सोहागपुर, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के पी0ओ0आर0 क्र. 14198/06 अंतर्गत वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 2(16), 9, 35(8), 39, 50, 51 एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26(झ) से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।

## // नि र्ण य //
(आज दिनांक 28/09/2022 को घोषित)
[ RCT Case No. 500278/2016 ]

| | |
|---|---|
| **अभियोजन** | वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र कामती, मुख्यालय सोहागपुर, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद,जिला होशंगाबाद (म.प्र.) |
| **अभियोजन द्वारा** | **श्री अरूण पठारिया**, ए.डी.पी.ओ. |
| **अभियुक्त** | सुनील आयु करीब 26 वर्ष आत्मज बजारी, निवासी घोघरी, थाना एवं तहसील सोहागपुर,जिला होशंगाबाद(म.प्र.) |
| **अभियुक्त द्वारा** | **श्री साबिर खान** अधिवक्ता |
| **अपराध की तारीख** | 14/01/2016 |
| **प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख** | 14/01/2016 |
| **अभियोग पत्र की तारीख** | 16/02/2016 |
| **आरोपों के विरचना की तारीख** | 16/06/2022 |
| **साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख** | 19/12/2017 |
| **निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख** | 26/09/2022 |

Cont. Page No. 2

| | |
|---|---|
| निर्णय की तारीख | 28/09/2022 |
| दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख | पैरा नंबर–26 के अनुसार |

## अभियुक्त का विवरण

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तारीख | जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख | अपराध जिनका आरोप है | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि | अधिरोपित दण्डोदश | धारा 428 दप्रसं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुनील | 14.01.16 | 18.01.16 | वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित अधिनियम, 2006) की धारा 2(16), 9,35(6), 39,50,51 एवं भारतीय वन्य अधिनियम की धारा 26(1)(i) के उल्लंघन में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51(1–सी) | दोषसिद्ध | कंडिका नं. 26 अनुसार | 05 दिवस |

## अभियोजन के साक्षियों की सूची

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| अ.सा.1 | यशवंत सिंह | वन विभाग के साक्षी |
| अ.सा.2 | भगवतप्रसाद | स्वतंत्र / पंच साक्षी |
| अ.सा.3 | छोटेलाल | वन विभाग के साक्षी |
| अ.सा.4 | लाखन सिंह पटेल | वन विभाग के साक्षी |
| अ.सा.5 | विजय कुमार श्रीवास्तव | वन विभाग के साक्षी |
| अ.सा.6 | संदेश माहेश्वरी | वन विभाग के साक्षी |

Cont. Page No. 2

28/09/2022

## बचाव साक्षियों की सूची

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| ब.सा.1 | निरंक | निरंक |

## अभियोजन प्रदर्शों की सूची–

| सरल क्र0 | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी–1/अ.सा.1/19.12.17 | जप्ती पंचनामा |
| 2 | प्रदर्श पी–2/अ.सा.1/19.12.17 | जप्ती का मौका पंचनामा |
| 3 | प्रदर्श पी–3/अ.सा.1/19.12.17 | मौका पंचनामा |
| 4 | प्रदर्श पी–4/अ.सा.1/19.12.17 | पी.ओ.आर. |
| 5 | प्रदर्श पी–5/अ.सा.1/19.12.17 | वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई सूचना |
| 6 | प्रदर्श पी–6/अ.सा.2/19.12.17 | गिरफ्तारी पंचनामा |
| 7 | प्रदर्श पी–7/अ.सा.4/27.08.19 | घटनास्थल का नजरी नक्शा |
| 8 | प्रदर्श पी–8/अ.सा.4/27.08.19 | आरोपी सुनील के कथन |
| 9 | प्रदर्श पी–9/अ.सा.4/27.08.19 | साक्षी देवीसिंह के कथन |
| 10 | प्रदर्श पी–10/अ.सा.4/27.08.19 | साक्षी छोटेलाल के कथन |
| 11 | प्रदर्श पी–11/अ.सा.4/27.08.19 | साक्षी भगवत के कथन |
| 12 | प्रदर्श पी–12/अ.सा.5/09.04.22 | आरोपी सुनील के कथन |
| 13 | प्रदर्श पी–13/अ.सा.6/09.04.22 | फोटोग्राफ्स |
| 14 | प्रदर्श पी–14/अ.सा.6/09.04.22 | फोटोग्राफ्स |

## बचाव पक्ष के प्रदर्श

| सरल क्रमांक | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | निरंक | निरंक |

## अन्य जप्तशुदा वस्तुएं/आर्टिकल

| सरल क्रमांक | आर्टिकल संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | आर्टिकल ए–1/अ.सा.1/13.06.22 | लोहे की कुल्हाड़ी |
| 2 | आर्टिकल ए–2/अ.सा.1/13.06.22 | प्लास्टिक की दो टार्च |

Cont. Page No. 3

28/09/2022

01. अभियुक्त सुनील के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित अधिनियम, 2006) की धारा 2(16), 9,35(8),39,50,51 एवं भारतीय वन्य अधिनियम की धारा 26(1)(i) के उल्लंघन में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51(1–सी) के अधीन आरोप इस प्रकार है कि उसने दिनॉक 14.01.2016 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र के में बिना अनुमति प्रवेश कर महाजाल से मछली, कछुआ, पकड़ने (मारने) का अपराध किया है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनॉक 14.01.2016 को वन परिक्षेत्र सोहागपुर में पदस्थ वनपाल लाखन सिंह पटेल को रात्रि गश्ती के दौरान कक्ष क0 265 मढ़ई बीट पीरिया क्षेत्र में पानी की तरफ टार्च की रोशनी दिखाई दी, तो वहां जाकर देखा तो कुछ लोग पानी में मछली मारने के लिए फंदा डाले हुए है, जो अंदर से खींच रहे थे। उन लोगों को पास आते देख आरोपी वहां से भागने लगा, जिसे स्टाफ की मदद से दौड़कर पकड़ा। आरोपी से उक्त संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी के पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। आरोपी के पास से महाजाल, लकड़ी की नाव, टार्च, कुल्हाड़ी और नाव चलाने के चप्पू तथा 50 किलो मछली और दो कछुए जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 बनाया गया। जप्ती का मौका पंचनामा प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया। मौका पंचनामा प्रदर्श पी–3 उसके द्वारा तैयार किया गया। प्रकरण का पी.ओ.आर. क014198/06 प्रदर्श पी–4 यशवंत सिंह वनरक्षक अ.सा.1 द्वारा काटा गया। कार्यवाही की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में प्रदर्श पी–5 के माध्यम से दी गई। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–7 उसके द्वारा तैयार किया गया। आरोपी सुनील के कथन प्रदर्श पी–8 लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–6 तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन प्रदर्श पी–9 लगायत पी–11 उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत उक्त अपराध में आरोपी के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित अधिनियम, 2006) की धारा 2(16), 9,35(8), 39,50,51 एवं भारतीय वन्य अधिनियम की धारा 26(1)(i) के उल्लंघन में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51(1–सी) के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, सोहागपुर के न्यायालय में पेश किया गया।

03. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय की कंडिका–1 अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार कर, विचारण चाहा, तदानुसार उसका अभिवाक्

Cont. Page No. 4

28/9/2017

अंकित किया गया। अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दं0प्र0सं0 के अधीन किये जाने पर बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यक्त किया एवं बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है।

04. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में यशवंत सिंह (अ.सा.1), भगवतप्रसाद (अ.सा.2), छोटेलाल (अ.सा.3), लाखन सिंह पटेल(अ.सा. 4), विजय कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.5) एवं संदेश माहेश्वरी (अ.सा.6) को परीक्षित कराया है। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

05. **प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न है :–**

क्या अभियुक्त द्वारा दिनॉक 14.01.2016 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र कै में बिना अनुमति प्रवेश कर महाजाल से मछली, कछुआ, पकड़ने (मारने) का अपराध किया है ?

**–: विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार :–**
**विचारणीय प्रश्न कमांक–1 के संबंध में**

06. प्रकरण में आरोप पर यह आरोप है कि घटना दिनॉक 14.01.2016 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र के में बिना अनुमति प्रवेश कर महाजाल से मछली, कछुआ, पकड़ने (मारने) का अपराध किया है। उक्त अपराध को प्रमाणित होने के लिए प्रकरण में यह देखा जाना है कि :–

(1) क्या घटना दिनॉक को वन्य प्राणी मछली का अनुसूची–4 के अनुकमांक–15 भाग–2ए का शिकार अवैध रूप से शिकार करने का प्रयास किया ?

(2) क्या उक्त वन्यप्राणी आरोपी के आधिपत्य से जप्त की गई ?

(3) क्या आरोपी द्वारा वन्यप्राणी का शिकार किया गया ?

07. उक्त के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी यशवंत सिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह दिनॉक 14.01.16 को मढ़ई में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनॉक को रात्रि गस्ती के दौरान मढ़ई के कक्ष क0 265 पीरियानाला में कुछ व्यक्ति टार्च की रोशनी में दिखाई दिये, तो वे लोग वहां पहुँचे तो देखा वहां पर आरोपी सुनील एवं अन्य आरोपीगण मछली का महाजाल खींच रहे थे। उक्त जगह कोर क्षेत्र में आती है। फिर आरोपियों के पास एक महाजाल, लकड़ी

Cont. Page No. 5

23/09/2022

की नाव, टार्च, कुल्हाड़ी और नाव चलाने के चप्पू तथा करीब 50 किलो मछली और दो कछुए जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 की कार्यवाही की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त कार्यवाही के संबंध में उसके द्वारा जप्ती का मौका पंचनामा प्रदर्श पी–2 का तैयार किया गया। मौका पंचनामा प्रदर्श पी–3 बनाया गया। प्रकरण का पी.ओ.आर. क0 14198/06 प्रदर्श पी–4 उसके द्वारा काटा गया था। उक्त कार्यवाही के उपरांत प्रकरण की सूचना प्रदर्श पी–5 वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में दी थी।

08. उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह सही है कि देनवा का बैकवाटर काफी विस्तृत एरिया में फैला है, उससे सट कर पीरियानाला है। यह सही है कि जो लोग उन्हें महाजाल खींचते हुए दिखे थे, वह देनवा के बैकवॉटर में दिखे थे। यह सही है कि वह आज नहीं बता सकता कि आरोपी सुनील से कौन–सी सामग्री जप्त हुई थी, स्वतः कहा कि पूरा सामान एक नाव से जप्त हुआ था। यह कहना सही है कि मौकास्थल पर उनके द्वारा कोई जप्ती तैयार नहीं की गई। उन्होंने कछुआ जप्त नहीं किया था, वह जिंदा था, इसलिए तुरंत पानी में छोड़ दिया था। यह सही है कि मौका नक्शा पर कोई स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये।

09. उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुए भगवतप्रसाद (अ.सा. 2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किए है कि उसके कथन दिनांक 19.12.17 से करीब डेढ़–दो वर्ष पूर्व वह गस्ती दल के साथ पीरियानाला तरफ गया था। उसक साथ बीटगार्ड यशवंत सूर्यवंशी, वोटचालक छोटेलाल, श्रमिक देवी भी साथ में गये थे। उन्हें गश्ती के समय टार्च की रोशनी दिखाई दी थी। जब वे वहां पहुँचे तो 4–5 लोग जाल डालकर मछली मारने हेतु जाल खींच रहे थे।। वहां पर बीट गार्ड सूर्यवंशी ने कार्यवाही की और आरोपीगण को लेकर मढ़ई आ गए थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 एवं मौका पंचनामा प्रदर्श पी–2, प्रदर्श पी–3 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–4 पर उक्त साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उसके कथन में ऐसी कोई विसंगति प्रकट नहीं हुई है, जो उसके कथन को अविश्वनीय बनाती हो।

10. छोटेलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किए है कि वह मंढ़ई में वोट चलाता था। घटना वर्ष 2014 की है। नाकेदार सूर्यवंशी, डिप्टी साहब और देवी सिंह एवं वे मढ़ई में वोट से गस्ती कर रहे थे। गस्ती के दौरान कोर एरिया में आरोपी सुनील महाजाल खींच रहा था। वोट की आवाज सुनकर वे लोग छुप गये थे। फिर उन लोगों ने उनको आवाज

Cont. Page No. 6

28/09/2021

लगाकर बुलाया था और बोला था कि जाल क्यों खींच रहे हो तो उनके पास से मछली और कछुएं मिले थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे गलती से यहां आ गये थे। मछली और कछुएं को वापस नदी में छोड़ दिया था। उक्त कार्यवाही करने का पंचनामा प्रदर्श पी–3 पर उसके हस्ताक्षर होना साक्षी बताता है।

11. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कोर एरिये में देनवॉ के पानी के किनारे के बाद जंगल लगा है, जो घनघोर जंगल है। आरोपीगण पानी से 50 फिट की दूरी पर जंगल में छुपे हुए थे। यह सही है कि आरोपीगण को जहां पर पकड़ा था, वहां पर पानी–पानी होने से आरोपीगण के संबंध में जो कार्यवाही की थी, वह मढ़ई रेस्टहाउस में की थी। यह सही है कि उसने जो हस्ताक्षर किये थे, वह मढ़ई रेस्टहाउस में किये थे। मौका स्थल पर कोई लिखा–पढ़ी नहीं की। यह सही है कि सूर्यवंशी नाकेदार के द्वारा उसके समक्ष दो कछुआ, 40–50 किलो मछली जप्त की थी।

12. लाखन सिंह पटेल (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किए है कि वह दिनांक 14.01.2016 को वन परिक्षेत्र सोहागपुर में पदस्थ वनपाल लाखन सिंह पटेल को रात्रि गश्ती के दौरान कक्ष क0 265 मढ़ई बीट पीरिया क्षेत्र में पानी की तरफ टार्च की रोशनी दिखाई दी, तो वहां जाकर देखा तो कुछ लोग पानी में, मछली मारने के लिए फंदा डाले हुए है, जो अंदर से खींच रहे थे। उन लोगों को पास आते देख आरोपी वहां से भागने लगा, जिसे स्टाफ की मदद से दौड़कर पकड़ा। आरोपी से उक्त संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी के पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। आरोपी के पास से महाजाल, लकड़ी की नाव, टार्च, कुल्हाड़ी और नाव चलाने के चप्पू तथा 50 किलो मछली और दो कछुए जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 बनाया गया। जप्ती का मौका पंचनामा प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया। मौका पंचनामा प्रदर्श पी–3 उसके द्वारा तैयार किया गया। प्रकरण का पी.ओ.आर. क014198/06 प्रदर्श पी–4 यशवंत सिंह वनरक्षक अ. सा.1 द्वारा काटा गया। कार्यवाही की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में प्रदर्श पी–5 के माध्यम से दी गई। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–7 उसके द्वारा तैयार किया गया। आरोपी सुनील के कथन प्रदर्श पी–8 लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–6 तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन प्रदर्श पी–9 लगायत पी–11 उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए।

13. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 एवं पी–3 के पंचनामों पर कोई हस्ताक्षर नहीं है।यह सही है कि

Cont. Page No. 7

29/09/2022

आरोपीगण पानी के अंदर उनको किस स्थान पर दिखे थे, वह भी दर्शित नहीं है। आरोपी सुनील के कथन मढ़ई कैंप में लिये थे। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है, जो उसके कथन को अविश्वसनीय बनाते हो।

14. संदेश माहेश्वरी (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किए है कि वह दिनॉक 14.01.16 को सोहागपुर में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनॉक को पीओआर. क0 14198/06 के प्रकरण में आरोपी सुनील पिता बजारी के धारा 50 वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत् बयान प्रदर्श पी–12 उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनॉक को ही बीटगार्ड में यशवंत सूर्यवंशी ने वन अपराध क0 14198/06 दिनांक 14.01.2016 की घटना की रिपोर्ट वन परिक्षेत्र कार्यालय में उसके समक्ष पेश की थी, जो प्रदर्श पी–5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में जप्तशुदा महाजाल, चप्पू के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–13 एवं पी–14 पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण 2016 से न्यायालय में लंबित है और उसके द्वारा धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि जिस मोबाइल फोन या विडियो कैमरे से फोटोग्राफ लिये गये है, वह प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए है।

15. विजय कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किए है कि वह दिनांक 14.01.16 को सोहागपुर में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनॉक को पी.ओ. आर. क0 14198/06 में आरोपी सुनील पिता बजारी के धारा 50 वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत् बयान प्रदर्श पी–12 उसके बताए अनुसार लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी सुनील के कथन वनपरिक्षेत्र कार्यालय, सोहागपुर में लेखबद्ध किये थे।

16. उपरोक्त संपूर्ण अभियोजन साक्षीगण के कथन में अभियुक्त द्वारा वन-अधिकारी के समक्ष सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पचमढ़ी अभ्यारण्य के कक्ष क0 265 के कोर क्षेत्र में वन्य प्राणी के शिकार करने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुज्ञप्ति के धारदार हथियार अवैध रूप से लेकर अनुसूची–04 के अनुकमाक–15 भाग–2ए के वन्य प्राणी मछली एवं कछुआ का शिकार करने में की गई स्वीकारोक्ति एवं उक्त कथन के आधार पर किए गए जप्ती पंचनामा एवं नजरी नक्शा की कार्यवाही प्रमाणित है। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति कथन वन अधिकारी वन विभाग के समक्ष दिये गये है, जो कि

Cont. Page No. 8

28/01/2021

साक्ष्य में ग्राह्य है। इस संबंध में माननीय **केरला उच्च न्यायालय** के न्याय दृष्टांत **फारेस्ट रेंज आफिसर चुंगाधारा रेंज वि0 अप्पू बकर एवं अन्य 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 2038** अवलोकनीय है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में फारेस्ट आफिसर पर विनिर्दिष्ट संदर्भों में केवल पुलिस अधिकारी के पॉवर दिए गए है तथा पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां नहीं दी गई है। इसलिए उनके समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति से धारा 25 साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगी और धारा 25 साक्ष्य अधिनियम बाधक नहीं बनेगी।"

17. अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त को झूठा फसाये जाने का कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। गश्तीदल वन विभाग के सभी सदस्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी है। उनकी अभियुक्त से कोई रंजिश प्रमाणित नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है।

18. वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–9 यह उपबंधित करती है कि "कोई व्यक्ति कोई वन्य प्राणी तथा शेड्यूल I,II,III एवं IV में सम्मिलित है, अधिनियम 11, 12 के प्रावधानों को छोड़कर शिकार नहीं करेगा, केवल उपधारा–5 के अनुसार प्रदत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और उसके अनुसार ही करेगा। उक्त अधिनियम की धारा–27 अभ्यारण्य में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

19. हस्तगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा अभियुक्त सुनील के कथन लिये गये है। अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित थे। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वन परिक्षेत्र सोहागपुर में रात्रि गश्ती के दौरान कक्ष क्र0 265 मढ़ई बीट पीरिया क्षेत्र में पानी की तरफ टार्च की रोशनी दिखाई दी, तो वहां जाकर देखा तो कुछ लोग पानी में मछली मारने के लिए फंदा डाले हुए है, जो अंदर से खींच रहे थे। उन लोगों को पास आते देख आरोपी वहां से भागने लगा, जिसे स्टाफ की मदद से दौड़कर पकड़ा। जिनके पास से मछली और कछुएं मिले थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे गलती से यहां आ गये थे। मछली और कछुएं को वापस

28/09/20

नदी में छोड़ दिया था। उक्त कार्यवाही करने का पंचनामा प्रदर्श पी–3 पर उसके हस्ताक्षर होना साक्षी बताता है।

20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत सह अभियुक्त, अपराधी अभियुक्त के विरूद्ध सक्षम साक्षी होता है। प्रकरण में आरोपी [redacted] से घटना दिनॉक को घटनास्थल पर एक महाजाल, लकड़ी की नाव, टार्च, कुल्हाड़ी और नाव चलाने के चप्पू तथा करीब 50 किलो मछली और दो कछुए जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 अनुसार जप्त किये गये है। आरोपी द्वारा सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश कर कक्ष क0 265 के अधिसूचित कोर क्षेत्र में मछली और कछुआ का शिकार किया गया है, जो कि वन्य प्राणी(संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–4 में आती है।

21. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर, अभियोजन अपने मामले को अभियुक्त सुनील के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनॉक 14.01.2016 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र के में बिना अनुमति प्रवेश कर महाजाल से मछली, कछुआ, पकड़ने (मारने) का अपराध किया गया है।

22. परिणामस्वरूप अभियुक्त सुनील को आरोपित आरोप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित अधिनियम, 2006) की धारा 2(16), 9,35(8),39,50,51 एवं भारतीय वन्य अधिनियम की धारा 26(1)(i) के उल्लंघन में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51(1–सी) के अंतर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। कारित अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

23. अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

28/09/2016

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

<u>पुनश्चः–</u>

24. अभियुक्त व अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त गरीब परिस्थिति के व्यक्ति

Cont. Page No. 10

28/09/2016

है। वह वर्ष 2016 से विचारण का सामना कर रहे हैं। उसका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं है। अतः उसके प्रति सद्भावना दिखाई जाये एवं कम से कम सजा से दण्डित किया जावें। अभियोजन द्वारा अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड़ दिए जाने का निवेदन किया गया।

25. अभियुक्त ने घटना दिनॉक 14.01.2016 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र के में बिना अनुमति प्रवेश कर महाजाल से मछली, कछुआ, पकड़ने (मारने) का अपराध किया है। जहां कि न्यूनतम कारावास एवं अर्थदण्डसे दंडित किए जाने का प्रावधान विधि द्वारा किया गया हो, वहां अभियुक्त को दंडित किये जाने में उदारता बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

26. अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त **सुनील** को **वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित अधिनियम, 2006) की धारा 2(16), 9,35(8),39,50,51 एवं भारतीय वन्य अधिनियम की धारा 26(1)(i) के उल्लंघन में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51(1–सी)** के अपराध के आरोप के अधीन **03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50,000/– रूपए (पचास हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्व ारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावें।

27. प्रकरण में अभियुक्त **सुनील** विचारण के दौरान दिनांक **दिनांक 14.01.2016 से 18.01.2016 तक** तक कुल **05** दिवस न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। तत्संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण–पत्र प्रकरण में संलग्न किया जावें तथा उक्त अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। प्रमाण–पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

28. प्रकरण में जप्तशुदा महाजाल एवं लकड़ी की नाव के संबंध में विधिवत् राजसात की कार्यवावही की जावे। शेष सम्पत्ति कुल्हाड़ी, टार्च(प्लास्टिक की बॉडी की 3 सेल वाली) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

29. अभियुक्त जमानत पर है। उसके पूर्व जमानत, मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त का सजा वारंट मय धारा 428 दप्रसं0 के प्रमाण–पत्र

Cont. Page No. 11

के तैयार किया जाकर उसे सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, नर्मदापुरम भेजा जावे।

**30.** अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे निर्देश पर टंकित।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

28/09/2022

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

28/09/2022

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

दिनाँक–28 सितम्बर, 2022
स्थानः–नर्मदापुरम, म0प्र0

REETU VERMA

Digitally signed by REETU VERMA
Date: 2022.09.28 17:50:34 +0530

Cont. Page No. 12